पत्रांक : 06 / वि० 09–63 / 2021.... .....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

सेवा में,

महालेखाकार (ले० ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः–.....

विषयः **वित्तीय वर्ष 2026–27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा राज्य स्कीम के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्र / छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या–97 दिनांक 15.09.2026 द्वारा स्वीकृत राशि 14,83,71,67,000 / – (चौदह अरब तेरासी करोड़ इकहत्तर लाख सड़सठ हजार रूपये) के विरूद्ध कुल राशि 10,22,66,67,000 / – (दस अरब बाईस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र का विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा राज्य स्कीम के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्र / छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु **"मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना"** अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या–97 दिनांक 15.09.2026 द्वारा स्वीकृत राशि 14,83,71,67,000 / – (चौदह अरब तेरासी करोड़ इकहत्तर लाख सड़सठ हजार रूपये) के विरूद्ध कुल राशि 10,22,66,67,000 / – (दस अरब बाईस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र राशि के व्यय की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना मद के अंतर्गत उक्त राशि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार के द्वारा निम्नवत् स्वीकृत्यादेश के माध्यम से स्वीकृत राशि के विरूद्ध विमुक्त किया जा रहा हैः–

क्र.	स्वी0सं0 / दि0	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष की विवरणी	लघु शीर्ष	विपत्र कोड	प्रस्तावित आवंटन (लाख में)	कक्षा
क	97 / 15.09.2026	0101–31–06	सहायक अनुदान– गैर वेतन	198 ग्राम पंचायतों को सहायता	11–2225031980101	12935.00	वर्ग 1 से 08 तक
ख		0101–34–01	छात्रवृत्ति / वजीफा	277–शिक्षा	11–2225032770101	89331.67	
					कुल–	102266.67	

(दस अरब बाईस करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार रूपये मात्र)

3. उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित राशि की निकासी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के निदेशानुसार करते हुए HDFC बैंक, बोरिंग रोड शाखा, पटना के खाता नाम–MUKHYAMANTRI BC EBC PREMATRIC CHHATRAVRITI YOJANA, खाता संख्या–50100637554294, IFSC कोड–HDFC0000235 में जमा किया जाएगा।

4. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि संबंधित अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार कोषागार संहिता–2011 के BTC-43 पर तथा सहायक अनुदान की राशि BTC-42 पर निकासी कर निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–पि०व०/4/वि०यो०–22–03/2022–226 दिनांक 03.02.2026 में निर्धारित दर एवं उल्लेखित दिशा–निर्देशों के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा द्वारा लाभुकों की अनुमोदित सूची के आलोक में डी०बी०टी० के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि का अंतरण अंतरण जमा द्वारा किया जाएगा।

5. छात्रवृति हेतु व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत नियमानुसार महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् समर्पित करते हुए इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भेजेगें। सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

6 जिला पदाधिकारी छात्रवृत्ति वितरण का अनुश्रवण करेंगे कि लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं को बैंक खाता के माध्यम से राशि का अन्तरण किया जा रहा है।

7. स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत है।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं निमयानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रुप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2027 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रुप में नहीं रखा जाय।

9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी।

10. राशि के व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–5 (ख) (ii) में निहित के आलोक में प्रदान की जाती है। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. विमुक्ति आदेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/वि० 09–63/2021 के नोट पृष्ठ 83/टि० पर दिनांक–15.10.2026 को प्राप्त है।

13. विमुक्ति आदेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 06/वि० 09–63/2021..... पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः06/वि० 09–63/2021...1971.. पटना, दिनांक...16/10/2026..

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार/सचिव, शिक्षा विभाग/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक (मा0 शि0), शिक्षा विभाग/निदेशक (प्रा0 शि0), शिक्षा विभाग/संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (प्रा०शि०)/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, शिक्षा विभाग एवं लेखा शाखा, शिक्षा विभाग (दो प्रति में)/वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना/शाखा प्रबंधक, HDFC बैंक, Boring Road, Patna/A.C./D.C कोषांग, शिक्षा विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.10.26
उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।